परिशिष्ट का पत्र [15/3/2021]

मध्यप्रदेश विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक–3968 के प्रश्नांश "क" की जानकारी

बैठक दिनांक – 15.03.2021 प्रश्न सं. [क्र. 3968] माननीय सदस्य श्री बैजनाथ कुशवाह

मध्यप्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-4/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 08.02.2021

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
भोपाल

विषयः- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की योजना - वर्ष 2019-20

संदर्भः- आयुक्त सहकारिता का पत्र क्रमांक साख/योजना/2020/4040 दिनांक 8.10.2020

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2019-20 में कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित अल्पकालीन फसल ऋणों पर शून्य प्रतिशत ब्याज सहायता के संबंध में निर्देश चाहे गये है।

2/ इस संबंध में लेख है कि इस बिभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29.03.2020, दिनाक 20.4.2020 एवं 11.6.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये 10.50 प्रतिशत बेसरेट एवं समय-समय पर खरीफ 2019 एवं रबी 2019-20 की डयू डेट बढाकर 31 अगस्त, 2020 रखे जाने के निर्देश जारी किये गये है। वर्ष 2019-20 में वितरित ऋणों पर राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्धारित बेसरेट 10.50 के अंतर्गत ब्याज अनुदान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(i) 1.50 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) 4.00 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान उन किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो भारत सरकार द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करते हुये डयू डेट तक ऋण का भुगतान कर देते है।

3/ उपरोक्तानुसार ब्याज सहायता योजनान्तर्गत जिन किसानों को राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार से अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, सहकारी समितियां उक्त राशि उनसे प्राप्त कर सकेंगी, किन्तु ऋण वितरण से डयू डेट तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर किसी भी स्थिति में प्रभारित नही किया जा सकेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(उमाकांत उमराव)
प्रभुख सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-4/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 08.02.2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
5. उप सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
6. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.